



# शाहजहाँपुर पुलिस



**प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक:30.08.2024**

## **थाना रोजा पुलिस द्वारा तीन मोटरसाइकिल चोरों को तीन अदद चोरी की मोटरसाइकिल व वाहन को काटने के उपकरणों सहित किया गिरफ्तार**

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में श्री बी.एस.वीर कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में श्री राजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर तीन मोटरसाइकिल चोरों को तीन अदद चोरी की मोटरसाइकिल ( दो सही मोटरसाइकिल व एक अधकटी मोटरसाइकिल) के साथ किया गिरफ्तार ।

### **संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 30/08/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सल्लिया मोड पर बन्द पड़े भट्टे के अन्दर तीन लोग चोरी की मोटरसाइकिले लेकर मोटरसाइकिल काटने की फिराक में हैं जो मोटरसाइकिल काटकर अलग-अलग कर कबाडी को बेच देते हैं अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। जिस पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी तो तीन व्यक्तियों को गाडी खोलते व काटते हुए पकड लिया। जिन्होंने अपने नाम क्रमशः 1. नूर मोहम्मद उर्फ नीर पुत्र बिस्मील निवासी ग्राम कटघरा थाना हरियावा जिला हरदोई हाल पता शान्तिपुरम कालोनी शहवाज नगर थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर, 2. धर्मवीर पुत्र दाताराम निवासी ग्राम सूरतपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहाँपुर ,3. मोहम्मद आसिफ पुत्र मासूक अली निवासी मो0 वाजिदखैर पक्काबाग थाना शाहबाद जिला हरदोई बताये। जिनके कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल (एक सही मोटरसाइकिल व एक अधकटी मोटरसाइकिल) , 1670 रूपये नगद व 01 अदद मोबाइल रेडमी कम्पनी एण्ड्राइड , 01 अदद मोबाइल लावा कम्पनी का कीपैड, रिन्च हथौडा व आरी बरामद हुये , इसके अतिरिक्त अभियुक्तगणों द्वारा रोजा क्षेत्र से चोरी की गयी एक और मोटरसाइकिल थाना क्षेत्र शाहबाद जनपद हरदोई से बरामद की गयी। तीनों व्यक्तियों को उनके जुर्म धारा 35(1)/(2) / 106 BNSS व धारा 317(4)/ 317 (5) BNS से अवगत कराकर समय करीब 05.05 बजे सल्लिया मोड पर बन्द पड़े भट्टे के अन्दर से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. नूर मोहम्मद उर्फ नीर पुत्र बिस्मील निवासी ग्राम कटघरा थाना हरियावा जिला हरदोई हाल पता शान्तिपुरम कालोनी शहवाज नगर थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर उम्र 35 वर्ष
2. धर्मवीर पुत्र दाताराम निवासी ग्राम सूरतपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 31 वर्ष
3. मोहम्मद आसिफ पुत्र मासूक अली निवासी मो0 वाजिदखैर पक्काबाग थाना शाहबाद जिला हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष

### **वाँछित अभियुक्त:-**

1. नदीम उर्फ नजीम पुत्र गब्बर निवासी मो0 वाजिदखैर पक्काबाग थाना शाहबाद जिला हरदोई

### **पंजीकृत अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 534/24 धारा 35(1)/(2) / 106 BNSS व धारा 317(4)/ 317 (5) BNS थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

### **अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण :-**

अभियुक्त नूर मोहम्मद उर्फ नीर पुत्र बिस्मील निवासी ग्राम कटघरा थाना हरियावा जिला हरदोई हाल पता शान्तिपुरम कालोनी शहवाज नगर थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर

1. मु0अ0सं0 278/20 धारा 379,411 भा.द.वि थाना सदर बाजार
2. मु0अ0सं0 321/18 धारा 382,411,420 भा.द.वि थाना खुटार
3. मु0अ0सं0 370/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार
4. मु0अ0सं0 365/22 धारा 379,411 थाना रोजा
5. मु0अ0सं0 402/16 धारा 398,401 भा.द.वि थाना निगोही
6. मु0अ0सं0 278/20 धारा 379,411 भा.द.वि थाना रोजा

7. मु0अ0सं0 366/22 धारा /25 आयुध अधि0 थाना रोजा

**अभियुक्त धर्मवीर पुत्र दाताराम निवासी ग्राम सूरतपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहाँपुर**

1. मु0अ0सं0 84/23 धारा 60 EX ACT थाना सेहरामऊ दक्षिणी
2. मु0अ0सं0 204/24 धारा 3/25 A ACT थाना सेहरामऊ दक्षिणी
3. मु0अ0सं0 235/18 धारा 324,504 IPC थाना सेहरामऊ दक्षिणी
4. मु0अ0सं0 290/19 धारा 60 EX ACT थाना सेहरामऊ दक्षिणी
5. मु0अ0सं0 428/23 धारा 60 EX ACT थाना सेहरामऊ दक्षिणी

**पूछताछ विवरण:-**

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि नूर मोहम्मद उर्फ नीर पुत्र बिस्मिल निवासी ग्राम कटघरा थाना हरियावा जिला हरदोई शाहजहाँपुर ने विभिन्न स्थानों से मोटरसाईकिल चोरी कर धर्मवीर पुत्र दाताराम निवासी ग्राम सूरतपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहाँपुर को देता था तथा धर्मवीर उक्त मोटरसाईकिलों को नदीम उर्फ नजीम पुत्र गब्बर तथा मोहम्मद आसिफ पुत्र मासूक अली निवासीगण मो0 वाजिदखैर पक्काबाग थाना शाहबाद जिला हरदोई को बेच देते थे जो उसको काटकर हिस्से पुर्जे अलग अलग कर बेचते थे। धर्मवीर को इस काम के बदले 5000 रुपये प्रति मोटरसाईकिल, नदीम तथा आसिफ दिया करते थे।

**बरामदगी का विवरण –**

1. 03 अदद चोरी की मोटरसाईकिल
2. 1670 रुपये नगद
3. एक अदद मोबाइल रेडमी कम्पनी एण्ड्राइड
4. एक मोबाइल लावा कम्पनी का कीपैड
5. वाहन काटने के उपकरण

**गिरफ्तारी टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक रोजा श्री राजीव कुमार
2. व0उ0नि0 श्री जुगल किशोर पाल
3. उ0नि0 श्री राजेश कुमार
4. का0 845 अंकित कुमार
5. का0 2061 गौरव धीमान
6. का0 2820 लोकेन्द्र
7. का0 2333 रिकू कुमार
8. का0 1859 प्रेमपाल सिंह